न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या 98/16 (2016/00088)/अजमेर

1. फखरूदीन पुत्र बरकत अली, जाति मुसलमान, निवासी कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. हमीदा पुत्री श्री आजम अली
3. जुलेखा पुत्री श्री आजम अली
4. नवाब पुत्र सन्नू
5. रूस्तम पुत्र सन्नू

   समस्त जाति मुसलमान निवासी टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. सहायक अभियन्ता, अ0वि0वि0नि0लि0 किशनगढ़ जिला अजमेर।

—————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
आदेश उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ दिनांक 30–09–2016
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 204/2016 उनवान फखरूदीन
व अन्य बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री मदन सिंह रावत अभिभाषक, अपीलार्थीगण
2. श्री बी.एस.शेखावत राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–13.03.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष विवादित आराजियात में प्रार्थी /अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात वक्फ सम्पत्ति होने का आधार मानकर धारा

136 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी आराजी मस्जिद पर अपने पूर्वजों के समय से देखभाल व सेवा–पूजा करते चले आ रहे है और उसमें स्थित कृषि भूमि की पैदावार से मस्जिद की सेवा पूजा करते है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का नाम बतौर राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। अपीलार्थी मजिस्जद के पुजारी है और अनपढ़ व्यक्ति है जो कानून के प्रावधानों को नहीं जानते हैं। अपीलार्थी के वकील ने तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 30–9–2016 की जानकारी नहीं दी। अपीलार्थी अपने अभिभाषक से दिनांक 3–11–2016 को मिलने किशनगढ गया तब उक्त आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा प्रत्यर्थी संख्या–1 अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलाथीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 210, 211, 212 एवं 230 कुल रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा वाके मौजा टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसकी सेवा पूजा व मस्जिद की देखभाल हेतु अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम सम्वत् 2010 की एकीकरण की जमाबंदी एवं वर्किंग जमाबंदी 2041 एवं जमाबंदी सम्वत 2043–2046 में भी दर्ज है जो वर्तमान में मस्जिद स्थान खातेदार दर्ज है। उक्त मस्जिद की अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से सेवा पूजा करते चले आ रहे है और जिनका नाम जमाबंदी में भी दर्ज था लेकिन राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 1992–93 में अपीलार्थीगण जो मस्जिद के पुजारी थे जिनका नाम हटा दिया गया जिसकी दुरूस्ती हेतु अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही आराजी मस्जिद की सेवा पूजा करते चले आ रहे है और उक्त आराजी कृषि भूमि से जो पैदावार होती है उसी से मस्जिद की सेवा पूजा में खर्च करते है और इस कृर्षि भूमि के अलावा इस मस्जिद में सेवा पूजा करने के लिए और कोई आय का स्त्रोत नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हजारों जात्री आते है जिनको पानी पीने की आवश्यकता होती है। खसरा नम्बर 211 में स्थित कुंए पर विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण कुंए का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अपीलार्थी द्वारा कुंए पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उक्त मस्जिद से अपीलार्थी का नाम जमाबंदी में बतौर खिदमतदार दर्ज नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं मिल सकता है। विद्युत कनेक्शन के अभाव में न तो मस्जिद का विकास हो सकता है जिसके कारण विद्यत कनेक्शन लेने की अति आवश्यकता थी। राज्य सरकार द्वारा मस्जिदों की कृषि भूमि में पुजारियों एवं खादिमों के नाम इन्द्राज करने के आदेश समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित किये जा चुके है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपीलार्थीगण के पूर्वजों के हिस्से अनुसार अपीलार्थीगण का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है जिस पर तहत न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी गरीब एवं वृद्ध पुजारी भी है और काश्तकार भी है और उसकी पैदावार का मस्जिद में ही उपयोग करते है इस बाबत राज्य सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा दिनांक 25–11–2011 को जारी परिपत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनकी प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर एवं पुजारियों के लिए तहसील स्तर पर अलग से रखा जावे और उनमें पुजारियों का नाम अंकित किया जावे तथा इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रेकार्ड में भी अंकित किया जावे। दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता का यह तर्क था ऐसे प्रकरणों में मुस्लिम धार्मिक स्थलों मस्जिद/दरगाहों एवं उनके खादिमदारों पर भी वही नियम लागू होते है जो मंदिर एवं पुजारियों हेतु नियत है, अर्थात मुस्लिम धार्मिक स्थलों मस्जिद/दरगाहों एवं उनके खादिमदारों के लिए अलग से कोई नियम नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–9–2016 निरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम अंकित किया जावे तथा आराजी में स्थित कुंए पर विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु सहायक अभियन्ता, अ0वि0वि0नि0 लि0 अजमेर को निर्देशित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या–1 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पटवारी हलका की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम टोंकड़ा में स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 210

रकबा 01–16–00 में कब्रिस्तान होना तथा कब्रे बनी हुई होना व खसरा नम्बर 211 रकबा 00–02–00 गै0मु0चाह में ताजिये ठण्डे सैराब किया जाना तथा खसरा नम्बर 212 रकबा 15–17–00 व खसरा नम्बर 230 रकबा 09–13–00 भूमि के कुछ भागों में लोगों द्वारा कब्जा किया होना अंकित है। वर्तमान में उक्त भूमि रिक्त है। उक्त विवादित भूमि वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति राजपत्र में उल्लेखित है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी मस्जिद एवं वक्फ की सम्पत्ति बाबत राजस्थान वक्फ बोर्ड में चाराजोही कर लाभ प्राप्त कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन कर संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट होते है कि पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 26–2–2016 में उल्लेखानुसार मौके पर खसरा नम्बर 210 गै.मु. कब्रिस्तान पर पुरानी कब्रे बनी हुई है। खसरा नम्बर 211 रकबा 0–02 गै.मु. चाह में ताजिये ठण्डे किये जाते है। खसरा नम्बर 212 रकबा 15–17 बीघा के कुछ भाग पर मस्जिद व पुरानी मजार बनी हुई है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस मस्जिब व पुरानी मजारों का जीर्णोद्वार करवाया गया है। खसरा नम्बर 212 रकबा 15–17 मे से लगभग 3 बीधा भूमि पर तथा खसरा नम्बर 230 रकबा 9–13 पर भी हरदेव पुत्र गोरधन द्वारा काश्त की जा रही है। वर्तमान में भूमि मौके पर रिक्त है। खसरा नम्बर 212 रकबा 15–17 के कुछ भाग पर बुन्दु पुत्र फारूख द्वारा काश्त की जा रही है। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212, 230 किता 4 कुल रकबा 27.08 बीघा मस्जिद स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज है। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हें पुनः खातेदारी दी जा सकती हैं इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/07/19 जयपुर दिनांक 25–11–2011 के अनुसार अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर से विधिक टिनेंट का नाम विलोपित कर दिया गया था, को धारा 136 के तहत रिकार्ड दुरूस्ती के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णित किये जाने का प्रावधान है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 210, 211, 212 एवं 230 कुल रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा वाके मौजा टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2018 की एकीकरण की जमाबंदी में इस प्रकार दर्ज है **" माफी श्री मसजीद स्थान देह तुराव अली व महबुब अली पि0 हुसैन शाह कौम मुसलमान सा. देह हि0 ब0 फकीर (सरबराकार)"** तथा वर्किंग जमाबंदी सम्वत् 2041 में **इस प्रकार दर्ज है " मसजिद स्थान देह बरकत अली, हबीब अली, पि0 तुराव अली 1/2 आजम सन्नू पि0 महबुब अली 1/2 मुसलमान फकीर सा. देह (सरबराकार) "** और जमाबंदी

सम्वत् 2043 से 2046 में इस प्रकार दर्ज है " **मस्जिद स्थान देह बरकत अली, हबीब अली पि0 तुराव अली हि0 1/2 आजम, सन्नू पि0 महबूब अली हि0 1/2 कौम मुसलमान फकीर सा0 देह (सरबराकार)**"। वर्तमान में जमाबंदी सम्वत् 2059–62 एवं जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 में यह वादग्रस्त आराजियात " **मस्जिद स्थान देह खातेदार**" दर्ज है। उक्त मस्जिद की अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से सेवा पूजा करते चले आ रहे है और जिनका नाम जमाबंदी में भी दर्ज था किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1992–93 में अपीलार्थीगण जो मस्जिद के खादिमदार थे उनका नाम हटा दिया गया। अपीलार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही आराजी मस्जिद की खिदमददारी करते चले आ रहे है। विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण कुंए का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अपीलार्थी द्वारा कुंए पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी उक्त मस्जिद से अपीलार्थी का नाम जमाबंदी में बतौर खिदमतदार दर्ज नहीं होने के कारण कनेक्शन नहीं मिल सकता है। विद्युत कनेक्शन के अभाव में न तो मस्जिद का विकास हो सकता है जिसके कारण विद्यत कनेक्शन लेने की अति आवश्यकता थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प–3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक 12–9–2018 में स्पष्ट रूप से निर्देश प्रदान किये गये है कि पूर्व में जमाबंदी में से मंदिर का विधि विरूद्ध तरीके से रहन या विक्रय न हो सके इस आधार पर राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाये गये थे। परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्वित नहीं होने के कारण या गलत व्याख्या करने के कारण मंदिर माफी की भूमियों के संबंध में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खदिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हें पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध में पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13–12–1991 के उपरान्त दिनांक 24–5–2007 व परिपत्र दिनांक 25–11–2011 में भी इन्हें खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में पाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे। उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशो के अनुरूप तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित है क्यों कि पूर्व में भी अपीलार्थीगण का नाम जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा था। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–9–2016 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के प्रपत्र भाग – I (वक्फ संबंधी विवरण) जो कि वक्फ विभाग की सर्वे रिपोर्ट है ओर यह अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 33 पर संकलित है जिसमें वादग्रस्त आराजी को कही भी वक्फ सम्पत्ति नही दर्शाया है। इसी प्रकार तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब/के संलग्न प्रस्तुत पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में भी वादग्रस्त आराजी को वक्फ की सम्पत्ति होना अंकित नही किया गया है। अधिनस्थ न्ययालय में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2018 में भी '' माफी श्री मस्जिद स्थान देह तुराव अली व महबुब अली पि0 हुसैन शाह कौम मुस्लमान सा. देह हि. ब. फकीर (सरबराकार) '' बतौर प्रविष्ठि कॉलम संख्या 3 में अंकित है। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड राजस्थान की अधिसूचना – जयपुर, 23 सितम्बर, 1965 की छांयाप्रति जो कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 37 –38 पर संलग्न है और जिसकी क्रम संख्या 34 पर **''जामा मस्जिद''** टोंकड़ा का उल्लेख किया गया है, के अवलोकन से भी वादग्रस्त आराजी का कोई तारतम्य प्रकट नही होता है। अतएवं ऐसी परिस्थिति में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–9–2016 विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलार्थीगण की यह अपील स्वीकार जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–9–2016 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 204/2013 बउनवान फखरूदीन व अन्य बनाम सरकार विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व प्रार्थना पत्र व अपील में अंकित आराजियात बाबत प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पूर्वजों के हिस्सेनुसार बतौर जमाबंदी सम्वत् 2018 की एकीकरण की जमाबंदी की प्रविष्ठी ''**माफी श्री मसजीद स्थान देह तुराव अली व महबुब अली पि0 हुसैन शाह कौम मुसलमान सा. देह हि0 ब0 फकीर (सरबराकार)**'' तथा वर्किंग जमाबंदी सम्वत् 2041 की प्रविष्ठी **''मसजिद स्थान देह बरकत अली, हबीब अली, पि0 तुराव अली 1/2 आजम सन्नू पि0 महबुब अली 1/2 मुसलमान फकीर सा. देह (सरबराकार)''** और जमाबंदी सम्वत् 2043 से 2046 की प्रविष्ठी **''मस्जिद स्थान देह बरकत अली, हबीब अली पि0 तुराव अली हि0 1/2 आजम, सन्नू पि0 महबूब अली हि0 1/2 कौम मुसलमान फकीर सा0 देह (सरबराकार)'' को बहाल करते हुए** चालू जमाबंदी (राजस्व रेकार्ड) में दर्ज किये जाने बाबत राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर